भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3859
25 मार्च, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आशा कार्यकर्ताओं को भरपाई

3859. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:
श्री नंदीगम सुरेश:
कुमारी गोडडेति माधवी:
औ पी.वी. मिधुन रेड्डी:
श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत 2019-20, 2020-21, 2021-22 के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और 'आशा' सहायक प्रतिदिन औसतन कितने घंटे कार्य करते हैं;
(ख) क्या 'आशा' कार्यकर्ताओं और सहायकों को वैश्विक महामारी की अवधि के दौरान अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षो के दौरान अतिरिक्त कार्यभार की भरपाई के लिए उनके पारिश्रमिक में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है;
(ग) क्या सरकार ने अग्रिम पंक्ति के कोविड कार्यकर्ताओं, विशेषकर एनआरएचएम कार्यकर्ताओं और 'आशा' कार्यकर्ताओं की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिले-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने बीमा कवर के रूप में या बीमारी कै मामले में अतिरिक्त चिकित्सा व्यय के रूप में, अतिरिक्त स्वास्थ्य चर्या लागत की भरपाई हेतु आशा कार्यकर्ताओं को मौद्रिक सहायता और लाभ प्रदान किया है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): आशाकर्मियों की परिकल्पना सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक होने के रूप में की गई है और वे कार्य/गतिविधि आधारित प्रोत्साहनों के हकदार हैं। आशा कार्यकर्ताओं को नियमित और आवर्ती कार्यकलापों

के लिए 2000 रुपये प्रति माह का एक निश्चित मासिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है और इसका ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यकलापों के विभिन्न सेटों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं और इसका विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में आशाकर्मियों को अनेक प्रकार के मौद्रिक आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने की छूट भी दी गई है और जिसका ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है। हालांकि, महामारी अवधि के दौरान, उन्हें सामुदायिक स्तर की निगरानी, परामर्श, घरों का दौरा और कोविड-19 रोगियों के फॉलो-अप, अधिक जोखिम वाले समूहों की पहचान, अनिवार्य सेवाओं के प्रावधान और कोविड-19 मामलों की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के लिए अतिरिक्त रूप से कई कार्यकलाप सौंपे गए हैं।

आशाकर्मियों द्वारा कोविड-19 महामारी से संबंधित कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए, राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे कोविड-19 स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी और आपातकालीन अनुक्रिया पैकेज के संसाधनों का उपयोग करके कोविड-19 से संबंधित कार्यों में लगे आशाकर्मियों के लिए प्रति माह 1000 रुपये के अतिरिक्त प्रोत्साहन का भुगतान करें।

राज्यों को समय-समय पर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी सभी आशाकर्मियों के लिए नेमी और आवर्ती गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन का पूरा भुगतान किया जाए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है, जिसमें स्वास्थ्य मानव संसाधन की मानसिक और शारीरिक स्वस्थता की आवश्यकता वाले कार्यकलापों के लिए सहायता शामिल है, जो उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके द्वारा उनके समग्र संसाधन स्रोत के भीतर प्रस्तुत आवश्यकताओं पर आधारित होती है। महामारी के दौरान एनआरएचएम और आशा कर्मियों की शारीरिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी कहा गया है कि वे मास्क, दस्ताने, साबुन और सैनिटाइजर आदि जैसे सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान सुनिश्चित करें और पर्याप्त पीपीई की आपूर्ति करें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें।

आशा लाभ पैकेज आशाकर्मियों के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए शुरू किया गया था। इस पैकेज में निम्नलिखित के कवरेज की व्यवस्था है:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत बीमा हुए व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 2.00 लाख रुपये का लाभ (भारत सरकार द्वारा योगदान किए गए 330 रुपये का वार्षिक प्रीमियम)।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए 2.00 लाख रुपये का लाभ; आंशिक विकलांगता के लिए 1.00 लाख रुपये (भारत सरकार द्वारा योगदान किए गए 12 रुपये का वार्षिक प्रीमियम)।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम) 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह का पेंशन लाभ (भारत सरकार द्वारा प्रीमियम का 50% और लाभार्थियों द्वारा 50% अंशदान)।

सरकार ने अपने अंशदान की स्वीकृति के रूप में न्यूनतम 10 वर्षों तक आशाकर्मियों के रूप में कार्य करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाले आशाकर्मियों को 20,000/- रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र को भी अनुमोदित किया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत, आशाकर्मियों सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना शुरू की गई है। यह बीमा योजना कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी के कारण जीवन की हानि के मामले में 50.00 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करती है।

अनुलग्नक-I

आशाकर्मियों को नेमी और आवर्ती गतिविधियों के लिए दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा

क्र.सं.	**प्रोत्साहन**	**प्रोत्साहन (सितंबर, 2018 से)**
1	ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण दिवसों या शहरी स्वास्थ्य और पोषण दिवसों में मोबिलाइजिंग और भाग लेना	200 रु. प्रति सत्र
2	वीएचएसएनसी/एमएएस की मासिक बैठक का आयोजन और मार्गदर्शन करना	150 रु.
3	ब्लॉक पीएचसी/यूपीएचसी में मासिक बैठक में भाग लेना	150रु.
4	क. वर्ष की शुरुआत में किए गए घरों की लाइन लिस्टिंग और हर छह महीने में अपडेट करना	300रु.
	ख. ग्रामीण स्वास्थ्य रजिस्टर को बनाए रखना और जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक पंजीकरण को मासिक आधार पर अपडेट किया जाना	300रु.
	ग. मासिक आधार पर प्रतिरक्षित किए जाने वाले बच्चों की उचित सूची तैयार करना	300रु.
	घ. एएनसी लाभार्थियों की सूची तैयार करना जिसे मासिक आधार पर अपडेट किया जाना	300 रु.
	ड. मासिक आधार पर पात्र दंपत्तियों की सूची तैयार करना	300 रु.
	कुल	**2000/- रु.**

अनुलग्नक-II

विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों का विवरण		
	क्रियाकलाप	**राशि रुपए में/प्रति मामला**
I	**मातृत्व स्वास्थ्य**	
1	**जेएसवाई वित्त पैकेज**	
क्.	महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करने के लिए	300 रु./ 200 रु. (ग्रामीण/ शहरी क्षेत्र)
ख.	संस्थान में प्रसव कराने के लिए	300 रु./ 200 रु. (ग्रामीण/ शहरी क्षेत्र)
2	महिलाओं की मृत्यु की सूचना	200 रु. (24 घंटे के भीतर रिपोर्टिंग)
II	**बाल स्वास्थ्य**	
1	नवजात शिशु और प्रसव पश्चात माता आदि/ किशोर बालक/ फॉलोअप के लिए घर के दौरे	250रू./ 50रू. प्रति दौरा/ 150रू. केवल जब एमयूएसी 125 एमएम के बराबर या इससे अधिक न हो
2	**गहन अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा**	
क.	पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के परिवारों को ओआरएस का प्रोफाइलैक्टिक वितरण के लिए सप्ताह-1-आशाकर्मी प्रोत्साहन	पांच वर्ष से कम आयु के 100 बच्चों के लिए प्रति ओआरएस पैकिट 1 रु.
ख.	गांव में सभी बच्चों के शारीरिक विकास पर निगरानी के लिए सप्ताह-2-आशाकर्मी प्रोत्साहन	कम से कम 80% परिवारों को पूरा करने के लिए प्रति आशाकर्मी 100 रु.
ग.	मां (माता का असीम स्नेह) कार्यक्रम	100रु./आशाकर्मी/तिमाही बैठक
III	**प्रतिरक्षण**	
1	1 वर्ष से कम/ 2 वर्ष तक की आयु के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण	100.00रु./ 75रु.
2	ओपीवी प्रतिरक्षण/ डीपीटी बूस्टर के लिए बच्चों को तैयार करना	100 रु. प्रति दिन/ 50रु.
IV	**परिवार नियोजन**	
1	प्रथम बच्चे के जन्म के पश्चात दो वर्ष/ तीन वर्ष का अंतर सुनिश्चित करना/ विवाह के बाद दो बच्चों के बाद स्थायी रूप से बच्चों की संख्या सीमित करना	500रु/ 500रु./ 1000रु.
2	ट्यूबेक्टॉमी के लिए महिलाओं को परामर्श देना, प्रोत्साहित करना और इनका फॉलोअप करना	उच्च जन्म दर वाले 11 राज्यों में 200 रु., 146 एमपीवी जिलों में 300 रु./ शेष राज्यों में 150/ 200 रु।
3	वैसेक्टॉमी और एनएसवी तथा प्रसव पश्चात महिला नसबंदी के लिए व्यक्तियों को परामर्श देना, प्रोत्साहित करना और इनका फॉलोअप करना	उच्च जन्म दर वाले 11 राज्यों में 300 रु. और 146 एमपीवी जिलों में 400रु. और शेष राज्यों में 200 रु.
मिशन परिवार विकास- 6 राज्यों में चयनित 146 जिलों में		

(उत्तर प्रदेश में 57, *बिहार में* 37, *राजस्थान में* 14,*झारखंड में* 9, *छत्तीसगढ़ में* 2 *और असम में* 2)		
4	इनजेक्शन के जरिए दिया जाने वाला गर्भनिरोधक एमपीए- (अंतारा कार्यक्रम) और एक गैर-हार्मोनल साप्ताहिक सेन्ड्रोमैल गोली (छाया)- आशार्मियों को प्रोत्साहन	प्रति खुराक 100 रु.
5	मिशन परिवार विकास अभियान के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय क्रियाकलाप	150/आशाकर्मी/राऊंड
6	नई पहल- नए विवाहित जोड़ों के लिए एक एफपी किट	100/-आशाकर्मी/नयी पहल किट का वितरण
7	सास बहू सम्मेलन- सम्मेलन के लिए सास-बहू को जागरूक करना	100रू./ प्रति बैठक
8	प्रत्येक एमपीवी अभियान से पहले ईसी सर्वेक्षण का अद्यतन	150/रु. आशा/तिमाही राऊंड
V	**किशोर स्वास्थ्य**	
1	किशोरियों को सैनेटरी नैपकिन	छ: सैनेटरी नैपकिनों के 1 पैक के लिए 1 रुपया
2	मैनस्ट्रुअल हाइजीन के संबंध में किशोरियों के साथ मासिक बैठक का आयोजन	50/-रू. बैठक
3	पीएलए बैठकों का आयोजन करना- 2 बैठक प्रति माह	100 रु./ आशाकर्मी/ प्रति बैठक
VI	**संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम**	
1	टीबी रोगियों की श्रेणी I/ श्रेणी-II (टीबी के नए मामले/ पूर्व में उपचारित टीबी मामले)	42 संपर्कों के लिए 1000 रु/ 57 संपर्कों के लिए 1500 रुपए
2	ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रोगियों को उपचार और सहायता	उपचार के पूर्ण कॉर्स के लिए 5000रु
3	लाए गए संदिग्ध व्यक्ति का निदान चिकित्सा अधिकारी/प्रयोगशाला द्वारा टीबी रोगी के रूप में होने संबंधी अधिसूचना[1]	100 रु.
VII	**राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम**	
1	कुष्ठ रोग के पॉकी- बेसीलरी मामलों/ मल्टी-बेसीलरी मामलों में उपचार– 33 राज्यों (गोवा, चंडीगढ़ और पुदुच्चेरी को छोड़कर) के लिए	250/रु. निदान के लिए)+ 400रु./ 600रु. (फॉलोअप हेतु)
VIII	**राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम**	
1	**मलेरिया-** ब्लड स्लाइड तैयार करना/ आरडीटी का पूर्ण उपचार या पॉजीटिव पीएफ मामलों का रेडिकल उपचार	15 रु/ प्रति स्लाइड/ 75 रु प्रति पॉजिटिव मामला
2	**लिम्फैटिक फिलैरियासिस- मामलों की सूची तैयार करना**	200 रु.
3	**एक्यूट एनसेफलाइटिस सिंड्रोम/जापानी एनसेफलाइटिस**	
	निकटतम सीएचसी/डीएच/मेडिकल कॉलेज में एईएस/जेई मामलों को भेजना	प्रति मामला 300 रु.

4	**काला अजार उन्मूलन**	
	स्प्रे के राऊंडों के दौरान आशा की भागीदारी/ संदिग्ध मामला रैफर करने हेतु	प्रति राऊंड 100 रु./ प्रति अधिसूचित मामला 500 रु.
5	**डेंगू और चिकुनगुनिया**	
	12 उच्च स्थानिकमारी वाले राज्यों में डेंगू और चिकुनगुनिया के निवारण और नियंत्रण के लिए इसके स्रोत के ह्रास और आईईसी क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहन	200 रु. (सर्वाधिक संचरण मौसम के दौरान 05 महीनों के लिए प्रतिमाह अधिकतम 200 घरों के लिए 1 रु./ घर)
6	**राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम**	
	नमक की जांच के लिए आशाकर्मी का प्रोत्साहन	नमक के 50 नमूनों के परीक्षण के लिए प्रतिमाह 25 रु.
IX.	**सीपीएचसी और सार्वभौमिक एनसीडी स्क्रीनिंग के तहत प्रोत्साहन**	
1	डाटा रखना और अतिरिक्त सूचना का वैधीकरण और संग्रहण	5 रु./फार्म/परिवार
2	प्रत्येक व्यक्ति के सीबीएसी फार्म भरना	10 रु./ प्रति फार्म/ प्रति व्यक्ति
3	रोगियों का फोलोअप	50 रु./ प्रति मामला/ द्विवार्षिक
4	सीपीएचसी घटक के तहत नए सर्विस पैकेजों की डिलीवरी	1000 रु./आशाकर्मी/ प्रतिमाह
X	***पेयजल और स्वच्छता***	
1	शौचालय के निर्माण और इनके प्रयोग के लिए तथा व्यक्तिगत नल कनेक्शन लेने के लिए परिवारों को प्रेरित करना	प्रति परिवार 75 रु.

अनुलग्नक-III

आशा कर्मियों को प्रदान किए गए मौद्रिक प्रोत्साहन का राज्य वार ब्यौरा

1. आंध्र प्रदेश 10,000 रुपये प्रति माह के कुल प्रोत्साहन को पूरा करने के लिए शेष राशि प्रदान करता है;
2. अरुणाचल प्रदेश-100% टॉप अप प्रदान करता है;
3. बिहार- प्रति आशा कर्मी 1000 प्रति माह 5 निर्दिष्ट कार्यक्षमता से संबद्ध 06 कार्यकलापों के लिए (वित्त वर्ष 2019-20 में शुरू)
4. छत्तीसगढ़-एक आशाकर्मी द्वारा वार्षिक आधार पर टॉप अप के रूप में अर्जित प्रोत्साहनों की राशि का 75%;
5. दिल्ली- कार्यरत आशाकर्मी के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह (आशाकर्मी द्वारा निष्पादित 12 मुरल कार्यकलापों के लिए);
6. गुजरात 50% टॉप अप प्रदान करता है;
7. हरियाणा- जून-2018 से 4000 रुपये प्रति माह और 50% टॉप-अप;
8. हिमाचल प्रदेश- 2000 रुपये प्रति माह;
9. कर्नाटक- 4000 रुपये प्रति माह – हाल ही में टॉप अप प्रोत्साहन के स्थान पर शुरू किया गया;
10. केरल-वित्त वर्ष 2020-21 में 5000 रुपये प्रति माह;
11. ओडिशा- 1 अप्रैल, 2018 को शुरू की गई राज्य निधि से 1000 रुपये प्रति माह;
12. राजस्थान- आईसीडीएस के माध्यम से 2700 रुपये प्रति माह;
13. सिक्किम -6000 रुपये प्रति माह;
14. तेलंगाना 6000 रुपये प्रति माह के बराबर कुल प्रोत्साहन राशि पूरी करने के लिए शेष राशि प्रदान करता है।
15. त्रिपुरा 08 निर्दिष्ट गतिविधियों के लिए 100% टॉप-अप और अन्य गतिविधियों के आधार पर 33% टॉप-अप प्रदान करता है;
16. उत्तराखंड- 5000 रुपये प्रति वर्ष और 1000 रुपये प्रति माह;
17. उत्तर प्रदेश- प्रति आशा प्रति माह 750 रुपये पांच निर्दिष्ट गतिविधियों की कार्यक्षमता से संबद्ध है (मार्च 2019 से शुरू); और
18. पश्चिम बंगाल- 3000 रुपये प्रति माह।

*****